भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1527

जिसका उत्तर 13.02.2025 को दिया जाना है

झारखंड में पीएम गति शक्ति-राष्ट्रीय मास्टर प्लान

1527. श्री दुलू महतो:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) झारखंड में पीएम गति शक्ति-राष्ट्रीय मास्टर प्लान (एनएमपी) के अंतर्गत परिवहन के विभिन्न साधनों के माध्यम से संपर्क को सुदृढ़ करने के लिए अनुमोदित सड़क परियोजनाओं/योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) झारखंड में इस प्रयोजनार्थ आबंटित और उपयोग की गई निधियों का परियोजना-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या झारखंड में दुर्घटना दर को कम करने के लिए हाल ही में कोई अध्ययन कराया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना सहित विभिन्न पहलों के अंतर्गत इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) सरकार द्वारा राष्ट्रीय राजमार्गों(रारा), मल्टी मोडल लॉजिस्टिक्स पार्क (एमएमपीएल) और रोपवे के विकास के लिए शुरू की गई सभी परियोजनाओं की योजना प्रधानमंत्री (पीएम) गति शक्ति - राष्ट्रीय मास्टर प्लान (एनएमपी) के सिद्धांतों के अनुरूप बनाई गई है। झारखंड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई 3500 किमी है, जिसमें से 846 किमी में रारा परियोजनाएं चल रही है और 371 किमी लंबाई की परियोजनाओं का कार्य सौंप दिया गया है।

(ख) निधियां परियोजना-वार आवंटित नहीं की गई है। पिछले तीन वर्षों के दौरान झारखंड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए निधियों और राष्ट्रीय राजमार्गों पर किए गए व्यय का विवरण नीचे दिया गया है:-

वर्ष	**आवंटन (करोड रु. में)**	**व्यय (करोड रु. में)**
वित्त वर्ष 2021-22	**2853**	**2853**
वित्त वर्ष 2022-23	**3127**	**3127**
वित्त वर्ष 2023-24	**4599**	**4599**

(ग) और (घ) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त सड़क दुर्घटना आंकड़ों के विश्लेषण से पता चलता है कि सड़क दुर्घटनाओं के कई कारण होते हैं और ये विभिन्न कारकों के परस्पर प्रभाव का परिणाम होते हैं, जिन्हें मोटे तौर पर मानवीय भूल, सड़क की दशा /पर्यावरण और वाहनों की स्थिति के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है।

सरकार ने सड़क सुरक्षा के मुद्दे का समाधान करने के लिए शिक्षा, इंजीनियरिंग (सड़कों और वाहनों दोनों की), प्रवर्तन और आपातकालीन देखभाल के आधार पर एक बहुआयामी कार्यनीति तैयार की है। सड़क सुरक्षा के मुद्दों का समाधान करने के लिए की गई विभिन्न पहलों का विवरण **अनुबंध** में दिया गया है।

एशियाई विकास बैंक की सहायता से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत, राष्ट्रीय ग्रामीण अवसंरचना विकास एजेंसी (एनआरआईडीए) द्वारा एक ग्रामीण सड़क सुरक्षा मैनुअल तैयार किया गया है और उसे सुरक्षित ग्रामीण सड़कों के निर्माण के लिए सभी राज्य ग्रामीण सड़क विकास एजेंसियों (एसआरआरडीए) को परिचालित किया गया है। मैनुअल में दुर्घटना डेटा रिकॉर्ड, सुरक्षित सड़क डिजाइन, सड़क सुरक्षा लेखापरीक्षा परीक्षणसूची, सामुदायिक जागरूकता और शिक्षा पर मार्ग-निर्देशन शामिल है। पीआईयू, परामर्शदाताओं और अन्य हितधारकों के लिए सुझावात्मक प्रशिक्षण मॉड्यूल भी दिए गए हैं। इसके अलावा, पीएमजीएसवाई III और पीएमजीएसवाई-IV के कार्यक्रम दिशानिर्देशों में पर्याप्त प्रावधान किए गए हैं, जिनका राज्यों को इस योजना के तहत मंजूर किए जाने वाले सड़क कार्यों की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करते समय अनुपालन करना आवश्यक है। इसके साथ ही, इस मंत्रालय की तकनीकी शाखा, राष्ट्रीय ग्रामीण अवसंरचना विकास एजेंसी ने 6 अक्टूबर, 2020 को सभी राज्यों को माननीय सर्वोच्च न्यायालय की सड़क सुरक्षा समिति द्वारा जारी निर्देशों के आलोक में 5 किलोमीटर से अधिक लंबी सभी पीएमजीएसवाई सड़कों का डिजाइन चरण पर लेखा परीक्षा (ऑडिट) करने के बारे में अवगत कराया। राज्यों से यह भी अनुरोध किया गया कि वे 5 किलोमीटर से अधिक लंबी सभी ग्रामीण सड़कों, जिन पर कार्य शुरू होना है या प्रगति पर है, का सुरक्षा ऑडिट करवाएं। सुधारात्मक उपाय/रेट्रोफिटिंग करने के लिए चालू मौजूदा ग्रामीण सड़कों का भी ऑडिट/निरीक्षण किया जाना था।

अनुबंध

"झारखंड में पीएम गति शक्ति-राष्ट्रीय मास्टर प्लान" के संबंध में श्री दुलू महतो द्वारा पूछे गए दिनांक 13.02.2025 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 1527 के भाग (ग) और (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

सडक परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में केंद्र सरकार द्वारा की गई विभिन्न पहलों का विवरण:-

(1) शिक्षा:

i. सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न एजेंसियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए एक सड़क सुरक्षा प्रचार व्यवस्था योजना लागू की गई है।
ii. जागरूकता फैलाने और सड़क सुरक्षा सुदृढ़ीकरण के लिए प्रति वर्ष राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह/ सप्ताह मनाना।
iii. पूरे देश में राज्य/जिला स्तर पर ड्राइविंग प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान (आईडीटीआर), क्षेत्रीय ड्राइविंग प्रशिक्षण केंद्र (आरडीटीसी) और ड्राइविंग प्रशिक्षण केंद्र (डीटीसी) की स्थापना हेतु एक योजना लागू करना।

(2) इंजीनियरिंग (सड़कों और वाहनों दोनों)

2.1 सड़क इंजीनियरिंग

i. सभी राजमार्गों का तृतीय पक्ष के लेखा परीक्षक/विशेषज्ञों के माध्यम से सड़क सुरक्षा ऑडिट सभी चरणों अर्थात् डिजाइन, निर्माण, संचालन और रखरखाव में कराना अनिवार्य कर दिया गया है।
ii. राष्ट्रीय राजमार्गों पर ब्लैक स्पॉट्स/दुर्घटना संभावित स्थानों को चिह्नित और सुधार करने को उच्च प्राथमिकता।
iii. मंत्रालय के अधीन आने वाली सड़क स्वामित्व एजेंसियों के प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय में सड़क सुरक्षा अधिकारी (आरएसओ) को आरएसए और अन्य सड़क सुरक्षा संबंधी कार्यों की देखरेख करने के लिए नामित किया गया है।
iv. पूरे भारत में सड़क दुर्घटनाओं के आंकड़ों को दर्ज करने, उनका प्रबंधन और विश्लेषण के लिए एक केंद्रीय भंडार स्थापित करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक विस्तृत दुर्घटना रिपोर्ट (ई-डीएआर) परियोजना शुरू की गई है।
v. एक्सप्रेसवे और राष्ट्रीय राजमार्गों पर संकेतकों के प्रावधान के लिए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं, ताकि वाहन चालकों को बेहतर दृश्यता और सहज मार्गदर्शन मिल सके।
vi. सड़क डिजाइन, निर्माण और रखरखाव के लिए समय-समय पर केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित मानकों का अनुपालन करने में विफल रहने के बारे में मोटर यान अधिनियम, 1988 में प्रावधान किए गए हैं।

2.2 वाहन इंजीनियरिंग:

सरकार द्वारा वाहनों को सुरक्षित बनाने के लिए विभिन्न पहल की गईं, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:-

i. वाहन की अगली सीट पर चालक के बगल में बैठे यात्री के लिए एयरबैग का अनिवार्य प्रावधान।

ii. मोटर साइकिल पर सवारी करने या उस पर ले जाए जाने वाले चार वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सुरक्षा उपायों से संबंधित निर्धारित मानदंड। इसमें सुरक्षा हार्नेस, क्रैश हेलमेट के उपयोग को भी निर्दिष्ट किया गया है और गति को 40 किमी प्रति घंटे तक सीमित रखा गया है।

iii. निम्नलिखित सूचीबद्ध सुरक्षा प्रौद्योगिकियों के फिटमेंट के लिए अनिवार्य प्रावधान: -

एम1 श्रेणी के वाहनों के लिए:

क. ड्राइवर और सह-चालक के लिए सीट बेल्ट रिमाइंडर (एसबीआर)

ख. सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम के लिए मैनुअल ओवरराइड

ग. अति रफ्तार चेतावनी प्रणाली

सभी एम और एन श्रेणी के वाहनों के लिए:

क. रिवर्स पार्किंग चेतावनी प्रणाली

iv. एल [चार पहियों से कम वाले मोटर वाहन और क्वाड्रिसाइकिल शामिल है] एम [यात्रियों को परिवहन के लिए उपयोग किए जाने वाले कम से कम चार पहियों वाले मोटर वाहन] और एन [माल के परिवहन के लिए उपयोग किए जाने वाले कम से कम चार पहियों वाले मोटर वाहन, जो बीआईएस मानकों में निर्धारित शर्तों के अधीन माल के अलावा व्यक्तियों को भी ले जा सकते हैं] श्रेणियों के कुछ वर्गों के लिए एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम (एबीएस)।

v. दो पहिया, तिपहिया, क्वाड्रिसाइकिल, दमकल, एंबुलेंस और पुलिस वाहनों को छोड़कर सभी परिवहन वाहनों में गति सीमित करने वाली विशिष्टता/गति सीमित करने वाला उपकरण अनिवार्य किया गया।

vi. स्वचालित परीक्षण स्टेशनों की मान्यता, विनियमन और नियंत्रण के लिए नियम प्रकाशित किए गए, जो स्वचालित उपकरणों के माध्यम से वाहनों की फिटनेस जांच की प्रक्रिया और एटीएस द्वारा फिटनेस प्रमाण पत्र देने की प्रक्रिया को परिभाषित करते हैं। नियमों में 31.10.2022 और 14.03.2024 को और संशोधन किया गया है।

vii. प्रोत्साहन/हतोत्साहन के आधार पर वाहन स्क्रैपिंग नीति तैयार की गई और पुराने, अनुपयुक्त और प्रदूषणकारी वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाने के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र बनाया गया।

viii. स्वचालित प्रणाली के माध्यम से वाहनों की फिटनेस जांचने के लिए केंद्रीय सहायता से प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में एक आदर्श निरीक्षण और प्रमाणन केंद्र स्थापित करने की योजना।

ix. यात्री कारों की सुरक्षा रेटिंग की अवधारणा को शुरू करने और उपभोक्ताओं को सूचित निर्णय लेने के लिए सशक्त बनाने के लिए भारत न्यू कार एसेसमेंट प्रोग्राम (बीएनसीएपी) के संबंध में नियम प्रकाशित किए गए।

x. मूल उपकरण निर्माताओं (ओईएम) और बस बॉडी बिल्डरों द्वारा बसों के विनिर्माण के क्षेत्र में निर्धारित समान अवसर के संबंध में नियम प्रकाशित किए गए।

xi. 1 अक्टूबर, 2025 को या उसके बाद निर्मित एन2 (3.5 टन से अधिक लेकिन 12.0 टन से अधिक नहीं सकल वाहन भार वाला माल वाहन) और एन3 (12.0 टन से अधिक सकल वाहन भार वाला माल वाहन) श्रेणी के वाहनों के केबिन के लिए अनिवार्य एयर कंडीशनिंग प्रणाली लगाना अनिवार्य।

xii. 01 अप्रैल, 2025 से एम, एन और एल7 श्रेणी के मोटर वाहनों में सुरक्षा बेल्ट असेंबलियों, सुरक्षा बेल्ट एंकरेज और सुरक्षा बेल्ट और नियंत्रण प्रणाली संस्थापन के लिए संशोधित मानकों की प्रयोज्यता के प्रावधान करने के लिए सुरक्षा बेल्ट, नियंत्रण प्रणाली और सुरक्षा बेल्ट रिमांइडर के मानकों के संशोधन के लिए नियम प्रकाशित किए गए। इसके अलावा, 1 अप्रैल 2025 को और उसके बाद निर्मित श्रेणी एम1 के

वाहनों को एआईएस-145-2018 के अनुसार आगे की ओर वाली सभी पिछली सीटों के लिए सुरक्षा बेल्ट रिमाइंडर की आवश्यकता को पूरा करना होगा।

(3) प्रवर्तन

i. मोटर यान (संशोधन) अधिनियम, 2019 सख्त अनुपालन सुनिश्चित करने और यातायात नियमों के उल्लंघन के प्रतिवारण बढ़ाने और प्रौद्योगिकी के उपयोग के माध्यम से सख्त प्रवर्तन के लिए कठोर शास्तियों का प्रावधान करता है।

ii. सडक परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने सड़क सुरक्षा की इलेक्ट्रॉनिक निगरानी और प्रवर्तन के लिए नियम जारी किए गए। ये नियम भारत के दस लाख से अधिक आबादी वाले शहरों और राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी) के अंतर्गत आने वाले शहरों में राष्ट्रीय राजमार्गों, राज्यीय राजमार्गों और महत्वपूर्ण जंक्शनों पर उच्च जोखिम और उच्च सघनता वाले गलियारों पर इलेक्ट्रॉनिक प्रवर्तन उपकरण लगाने के लिए विस्तृत प्रावधान निर्दिष्ट करते हैं।

iii. 10 जून, 2024 को सडक परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने मोटर यान अधिनियम, 1988 के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए तकनीकी उपाय पर सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को परामर्शी जारी की है।

(4) आपातकालीन देखभाल:

i. सडक परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने ऐसे नेक नागरिक (गुड समारिटन) की सुरक्षा के लिए नियम प्रकाशित किए गए हैं, जो सद्भावनापूर्वक, स्वेच्छा से और किसी पुरस्कार या मुआवजे की अपेक्षा के बिना दुर्घटना स्थल पर पीड़ित को आपातकालीन चिकित्सा या गैर-चिकित्सा देखभाल या सहायता प्रदान करता है या ऐसे पीड़ित को अस्पताल पहुंचाता है।

ii. सडक परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने हिट एंड रन मोटर दुर्घटनाओं के पीड़ितों के लिए मुआवजा बढ़ाया गया (गंभीर चोट के लिए 12,500 रुपये से 50,000 रुपये और मृत्यु के लिए 25,000 रुपये से 2,00,000 रुपये तक)।

iii. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने राष्ट्रीय राजमार्गों के पूरे हो चुके कॉरिडोर पर टोल प्लाजा पर पैरामेडिकल स्टाफ/आपातकालीन चिकित्सा तकनीशियन/नर्स के साथ एम्बुलेंस का प्रावधान किया है।

iv. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (एनएचए) के साथ मिलकर चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, पुडुचेरी और असम में सड़क दुर्घटनाओं के पीड़ितों को नगदीरहित उपचार प्रदान करने के लिए एक पायलट कार्यक्रम लागू किया है।

*****